संख्या-51/2020/1467जेएल/22-3-2020-800(107)/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बिजनौर।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* *लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2020*

विषय- केन्द्रीय कारागार बरेली के सिद्धदोष बंदी साजिद अकबर पुत्र हकीम अली अकबर, निवासी-मो0 कटारमल, थाना-चान्दपुर, जनपद-बिजनौर को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-268/जि0प्रो0का0/बंदी-पै0/2020-21, दिनांक 30-07-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार बरेली के सिद्धदोष बंदी साजिद अकबर पुत्र हकीम अली अकबर, निवासी-मो0 कटारमल, थाना-चान्दपुर, जनपद-बिजनौर को शासनादेश संख्या-32/2020/45जेपीआर/22-3-2020-800(107)/2018, दिनांक 28-05-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-51/2020/1467जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in